

डा० के०के० पाल
राज्यपाल एवं
कुलाधिपति, गो०ब०पंत कृषि एवं प्रौ०
विश्वविद्यालय, पन्तनगर।



राजभवन
उत्तराखण्ड, देहरादून

संख्या- / जी०एस० / C2-4-2 / शिक्षा / 2018

देहरादून : दिनांक 26 मार्च, 2018

शुद्धि-आदेश

आदेश संख्या-4722 / जी०एस० / C2-4-2 / शिक्षा / 2018 दिनांक 23 मार्च, 2018 द्वारा गो०ब०पंत कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय में लागू उ०प्र० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 (यथा प्रवृत्त एवं यथा अनुकूलित उत्तराखण्ड राज्य) की धारा-11(6)(a से c) के परन्तुक के अन्तर्गत डा० ए०के० मिश्रा का कुलपति पद पर कार्यकाल दिनांक 26 मार्च, 2018 से अग्रोत्तर छः माह अथवा नियमित कुलपति की नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए विस्तारित किया गया था, जिसमें टंकण त्रुटि के कारण दिनांक 26 मार्च, 2017 टंकित हो गया है।

अतएव उक्त आदेश दिनांक 23 मार्च, 2018 के तृतीय प्रस्तर में कुलपति पद पर कार्यकाल विस्तारण हेतु अंकित दिनांक 26 मार्च, 2017 के स्थान पर दिनांक 26 मार्च, 2018 पढ़ा जाय।


उक्त आदेश/पत्रांक दिनांक 23-03-2018 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

ह०/-
डा० के०के० पाल
कुलाधिपति।

संख्या 4754 (1) / जी०एस० / C2-4-2 / शिक्षा / 2018, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, कृषि शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन को विश्वविद्यालय के नये नियमित कुलपति के चयन प्रक्रिया की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करने हेतु प्रेषित।
4. महानिदेशक, (मानव संसाधन विकास) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, कृषि भवन नई दिल्ली।
5. डा० ए०के० मिश्रा, वर्तमान कुलपति, गो०ब०प० कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर, ऊधमसिंहनगर।
6. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रविनाथ रामन)
सचिव श्री राज्यपाल।